

विषय सूची			
क्रम सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
4.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	2
5.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
6.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
7.	सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
8.	वित्त का आशुचित्र	1.4.1	8
9.	सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र	1.4.2	9
10.	अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां	1.5	10
अध्याय-2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त			
11.	वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. वर्ष 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव	2.1	13
12.	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	2.2	14
13.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन	2.3	15
14.	रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियाँ	2.3.1	15
15.	रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	16
16.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि	2.3.2.1	16
17.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	18
18.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.2.3	25
19.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	29
20.	संसाधनों के उपयोग	2.4	30
21.	व्यय की वृद्धि तथा संघटन	2.4.1	30
22.	राजस्व व्यय	2.4.2	33
23.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.4.2.1	34
24.	प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	35
25.	राष्ट्रीय पेंशन योजना	2.4.2.3	36
26.	सब्सिडी	2.4.2.4	36
27.	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.5	37
28.	पूँजीगत व्यय	2.4.3	38
29.	पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	39

30.	निवेश तथा प्रतिफल	2.4.3.2	40
31.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.), रा.रा.क्षे.दि.स. के इक्विटी तथा बकाया ऋण का वित्त लेखों में आंकड़ों के साथ मिलान	2.4.3.3	41
32.	सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	2.4.4	41
33.	ऋण प्रबंधन	2.5	42
34.	ऋण रूपरेखा: घटक	2.5.1	42
35.	ऋण धारणीयता	2.6	43
36.	निष्कर्ष	2.7	44
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
37.	बजटीय प्रक्रिया	3.1	45
38.	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण	3.1.1	46
39.	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	46
40.	विनियोग लेखे	3.2	47
41.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ	3.3	48
42.	अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान	3.3.1	48
43.	अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग	3.3.2	49
44.	अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	3.3.3	52
45.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.4	55
46.	एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.4.1	55
47.	बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.5	56
48.	अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर	3.5.1	56
49.	बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.5.2	58
50.	व्यय का द्रुतप्रवाह	3.5.3	59
51.	अनुदान की उपयोगिता में कमी (केंद्रीय प्रायोजित योजना)	3.5.4	63
52.	अनुदान सं. 9 - 'उद्योग' का परिणाम	3.5.5	63
53.	अन्य अनियमितताएं	3.5.6	65
54.	अनुशंसाएँ	3.6	66
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली			
55.	निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित	4.1	67
56.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.2	67
57.	सार आकस्मिक बिल	4.3	72
58.	व्यक्तिगत जमा खाते	4.4	79
59.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.5	82
60.	स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.6	84

61.	वित्त लेखों के विवरण में अन्य अशुद्धियां	4.7	85
62.	वाउचर लेखापरीक्षा की अनियमितताएं	4.8	87
63.	अनुशंसाएँ	4.9	91
अध्याय-5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
64.	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	93
65.	लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	93
66.	रा.सा.क्षे.उ. तथा राज्य के स.रा.घ.उ. में उनका योगदान	5.3	94
67.	रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.4	95
68.	रा.सा.क्षे.उ. से रिटर्न	5.5	97
69.	ऋण सेवाएँ	5.6	98
70.	रा.सा.क्षे.उ. का निष्पादन	5.7	99
71.	रा.सा.क्षे.उ. में हानियों का होना	5.8	103
72.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.9	105
73.	नि.म.ले.प. द्वारा सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	106
74.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.11	106
75.	नि.म.ले.प. की निरीक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा	5.12	108
76.	नि.म.ले.प. की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	109
77.	लेखांकन मानकों के प्रावधान के अनुपालना की कमी	5.14	112
78.	प्रबंधन पत्र	5.15	114
79.	निष्कर्ष	5.16	114
80.	अनुशंसाएँ	5.17	115

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़ें	117
परिशिष्ट 3.1	योजनाओं का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	119
परिशिष्ट 3.2	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था	123
परिशिष्ट 3.3	अनुदान की उपयोगिता में कमी (केंद्रीय प्रायोजित योजना)	125
परिशिष्ट 5.1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नवीनतम वर्ष हेतु सांराशीकृत वित्तीय परिणाम जिनके लेखे प्राप्त किये गए हैं	127
परिशिष्ट 5.2	31 मार्च 2021 को राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित इक्विटी एवं बकाये ऋण की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण	129
	पारिभाषिक शब्दावली	131